न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

हुक्म उदूली प्रार्थना पत्र सं0 85/2003

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति स्वामी निवासी ग्राम मांढन तहसील बहरोड़ जिला अलवर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र श्री गौरीशंकर जाति ब्राह्मण,
2. बसंतलाल पुत्र श्री गौरी शंकर जाति ब्राह्मण,
3. रमाकांत पुत्र श्री दीनदयाल जाति ब्राह्मण,
4. संजीव कुमार उप पंजीयक नीमराणा (नायब तहसीलदार नीमराणा) तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 ।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
1. श्री रामेश्वर दयाल, अभिभाषक प्रार्थी ।
2. कु0 सुषमा शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 4

::: निर्णय :::

दिनांक :–24.05.2017

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दि0 10.11.2003 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान् में राजस्व अपील सं0 6/2003 बउनवानी रमाकांत बनाम राजेन्द्रकुमार व अन्य विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 10.11.2003 नियत है । राजेन्द्र कुमार प्रार्थी ने सहायक कलक्टर बहरोड़ के न्यायालय में दावा बाबत तकसीम आराजी व हुक्मईम्तनाई दवामी का दायर किया था जिस दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सहायक कलक्टर बहरोड़ ने दि0 25.4.2003 को अस्थाई निषेघाज्ञा इस प्रकार की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जारी की कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी को कहीं भी किसी भी तरह से मुन्तकिल ना करें मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा इस न्यायालय द्धारा भी विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल ना करने के आदेश जारी किये गये किन्तु उप पंजीयक ने विवादित आराजी का बयनामा पंजीबद्ध कर दिया जिस आदेश के खिलाफ अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थी ने अवमानना प्रार्थना पत्र बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्धारा सहायक कलक्टर बहरोड़ के न्यायालय में दावा तकसीम आराजी व हुक्मईम्तनाई दवामी का प्रस्तुत किया जिसमें सहायक कलक्टर बहरोड़ द्धारा दि0 25.4.2003 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी को कहीं भी किसी भी तरह से मुन्तकिल ना करें, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । इसके बावजूद भी न्यायालय द्धारा जारी आदेश दि0 29.5.2003 को संशोधित कराते हुए रेस्पो0 नं0 2 ल0 3 यानि अप्रार्थी सं0 1 व 2 को विवादित आराजी को मुन्तकिल करने हेतु प्रार्थी की जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्धारा दि0 5.6.2003 को आदेश जारी किया कि आदेश दिया जाता है कि पूर्व पारित आदेश दि0 29.5.2003 के सन्दर्भ में यह आदेश और दिया जाता है कि विवादित आराजी में रेस्पो0 सं0 2 व 3 अपने हिस्से की आगामी तारीख दि0 27.6.2003 तक रहन, बय, मुन्तकिल ना करें । उक्त आदेश की जानकारी अप्रार्थी सं0 1 को बखूबी थी तथा उक्त आदेश हर पेशी पर बढ़ता रहा है एवं यह आदेश दि0 10.11.2003 तक प्रभाव में है । न्यायालय श्रीमान् ने अप्रार्थी सं0 1, 2 को विवादित आराजी को मुन्तकिल ना करने हेतु पाबन्द कर रखा है जिस आदेश से अप्रार्थी सं0 1 व 2 पाबन्द है । अप्रार्थी सं0 1, 2 ने अप्रार्थी से0 4 के समक्ष अप्रार्थी सं0 3 के पक्ष में विवादित आराजी का बयनामा लिखा कर पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी ने स्पष्ट ऐतराज किया कि वे विवादित आराजी को मुन्तकिल नहीं करने हेतु पाबन्द हैं तथा उक्त बाबत उप पंजीयक को भी निवेदन किया गया कि विवादित आराजी का बयनामा पंजीबद्ध ना करें लेकिन उप पंजीयक नीमराणा ने यह कहते हुए बयनामा पंजीबद्ध किया कि वे इस आदेश से पाबन्द नहीं हैं । इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 ल0 4 ने न्यायालय श्रीमान् के आदेश की अवहेलना की है । अप्रार्थीगण ने जानबूझकर दुर्भावना पूर्ण तरीके से न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है जिस कृत्य के लिए वह दण्डित किये जाने योग्य है ।

प्रतिउत्तर में विद्धान अप्रार्थी सं0 4 के अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 4 उप पंजीयक नीमराणा दावे में पक्षकार नहीं था तथा हमें किसी भी अदालत से जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया । हमारे खिलाफ श्रीमान् से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था । इकतरफा में किसी पक्षकार ने क्या आदेश प्राप्त किये इस बाबत पक्षकारान से साबित कराया जावें । मिन अप्रार्थी के खिलाफ कोई स्टे आदेश नहीं था तथा ना ही मिन अप्रार्थी की कोई तामील करवायी गयी । इसके अलावा दि0 6.6.2003 को पुनः सहायक कलक्टर बहरोड़ के आदेश को स्थगित कर दिया गया था । मेरे द्धारा बयनामा रजिस्टर्ड करते वक्त पक्षकारान के विरूद्ध स्थगन की जितनी जानकारी थी उसका हवाला पंजीयन नियमावली के नियम 39 के अन्तर्गत बयनामें के पेज नं0 2 के पीछे दर्ज कर दिया गया है । उन्होंने आगे कथन किया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विधि निर्देशिका में उप पंजीयकों को यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि यदि मात्र पक्षकार किसी अदालत से पाबन्द है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उसकी जानकारी होने की स्थिति में बयनामें पर नोट अंकित किया जावेगास लेकिन बयनामें को पंजीयन करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है । मुताबिक निर्देशिका नोट अंकित किया है कि पक्षकार स्टे के बावजूद बयनामा पंजीबद्ध कराने को तैयार है । इसलिए बयनामा पंजीबद्ध किया गया । मेरे को किसी भी स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया गया तथा बयनामा करने से कानूनन मेरे द्धारा इन्कार नहीं किया जा सकता है । इसलिए सरकार के निर्देशों की पालना में बयनामा नेकनियति की भावना से पंजीबद्ध किया गया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । न्यायालय द्धारा प्रस्तुत अपील में रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 को विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल न करने के लिए पाबन्द किया गया था । इसके विपरीत उप पंजीयक नीमराणा द्धारा अपना जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि जहां पक्षकार स्थगन आदेश से न्यायालय द्धारा पाबन्द किये गये हो वहां पर प्रस्तुत बयनामें को पंजीबद्ध न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । न्यायालय द्धारा उप पंजीयक को पाबन्द नहीं किया गया है । इस प्रकार जो बयनामा किया गया है उसमें अप्रार्थी सं0 4 द्धारा कोई अवमानना नहीं की गई है और ना ही प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद द्धारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट होता हो कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई हो । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

अतः प्रार्थी का अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner